


23/01/2025

वकील वादी ने उपस्थित होकर पत्रावली को आज सुनवाई हेतु रखा जाने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार कर पत्रावली को आज ही सुनवाई हेतु रखा गया। पत्रावली आज पेश हुई। वादी ने बताया कि उनके आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं अब वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी द्वारा उक्त वाद को आगे चलाया नहीं जाने के कारण जरिये विद्धो खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जांघपुर (दक्षिण)